सं.10(4)/2018-एनईआरएस

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

एनईआरएस अनुभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली

11 फरवरी, 2019

सेवा में,

प्रधान सचिव(उद्योग)

उद्योग विभाग

असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, और त्रिपुरा सरकार

विषय - एनईआईडीएस-2017 संबंधी प्रचालन दिशा-निर्देश और पोर्टल दिशा-निर्देश विषयक ।

महोदय/महोदया

मुझे पूर्वोत्तर उद्योगिक विकास स्कीम(एनईआईडीएस) पर इस विभाग की दिनांक 12/4/2018 की राजपत्र अधिसूचना का संदर्भ लेने और एनईआईडीएस-2017 संबंधी प्रचालन दिशा-निर्देशों और पोर्टल दिशा-निर्देशों को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुरोध है कि संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रचालन दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार किया जाए।

भवदीय,

योगेश 11/2/19

(योगेश गुप्ता)

उप-सचिव

दूरभाष-23063212

संलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार

प्रतिलिपि:

सचिव(उद्योग)/आयुक्त(उद्योग), असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, और त्रिपुरा सरकार

प्रतिलिपि इनके लिए भी:

1. निदेशक (उद्योग), महानिदेशालय(उद्योग), असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, और त्रिपुरा सरकार।
2. सीसीए, डीपीआईआईटी
3. निदेशक, आईएफडब्ल्यु, डीपीआईआईटी
4. सीएमडी, एनईडीएफआई।
5. एफआईएनईआर, सीआईआई, एसोचैम, फिक्की

पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017-सामान्य संचालन दिशा-निर्देश

इन संचालन दिशानिर्देशों को एनईआईडीएस, 2017 अधिसूचना दिनांक 12.04.2018 और एनईआईडीएस, 2017 के दिनांक 11.02.2019 के पोर्टल संचालन दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. ऋण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन के दावे हेतु

1.1 इकाई का निरीक्षण

(i) इकाई को वास्तविक रूप में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के पश्चात फील्ड निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण करने हेतु तैयारी कर लेने संबंधी ऑनलाइन सूचना फाइल करनी चाहिए। ऋण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) के सभी दावों जिन मामलों में पात्र संयंत्र और मशीनरी में निवेश का मूल्य 5.00 करोड़ रुपये तक है उनका निरीक्षण डीआईसी द्वारा किया जाएगा, जबकि यदि पात्र संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है तो राज्य सरकार द्वारा आयोजित फील्ड निरीक्षण में (i) संबंधित राज्य सरकार (ii) वित्तीय संस्थान जिसने इकाई का मूल्यांकन किया है, (iii) एनईडीएफआई, तथा (iv) पात्र संयंत्र और मशीनरी में निवेश के 20.00 करोड़ रुपये से अधिक होने के मामले में केन्द्र सरकार का एक-एक प्रतिनिधि डीपीआईआईटी द्वारा नामित किया जाएगा।

(ii) फील्ड निरीक्षण दल के यथालागू कार्य मुख्य रूप से निम्नानुसार होंगे:-

- संयंत्र और मशीनरी की वास्तविक उपलब्धता की जांच करना जिसके संबंध में औद्योगिक इकाई द्वारा दावा किया गया है।
- यह सुनिश्चित करना कि क्या इन संयंत्र और मशीनरी के घटकों/मदों जिनके लिए औद्योगिक इकाई द्वारा सब्सिडी का दावा किया गया है वे इस स्कीम के प्रावधानों और इसके पश्चात समय-समय पर जारी स्पष्टीकरणों के अनुरूप है।
- संयंत्र और मशीनरी के मूल्य का आकलन करने के दौरान अन्य संबद्ध दस्तावेजों सहित औद्योगिक इकाई के वित्तीय संस्थान (संस्थानों) की मूल्यांकन रिपोर्ट पर पूरी तरह विचार करना।
- मूल्यांकन रिपोर्ट के द्वारा सब्सिडी हेतु पात्र माने गए संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में किसी प्रकार के अन्तर (यदि कोई है) को उचित रूप से स्पष्ट करना। अन्तर की इस रिपोर्ट को अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
- इकाई के फील्ड निरीक्षण पूरा होने की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर कमी संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगा।

(iii) इकाई द्वारा प्रस्तुत स्कीम के अंतर्गत किसी प्रोत्साहन घटक के तहत दावों पर विचार करने से पूर्व इकाई का निरीक्षण करना अनिवार्य है।

(iv) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नई इकाइयां दिनांक 12.04.2018 की अधिसूचना के पैरा 4.5 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों।

(v) डीपीआईआईटी के पास ऊपर उल्लिखित किसी प्रकार की भी वित्तीय सीमा होने के बावजूद किसी इकाई का निरीक्षण करने का अधिकार है।

1.2 दावे के आवेदन को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

1.3 दावे को प्रस्तुत करते समय, इकाई द्वारा परियोजना में किए गए कुल निवेश, संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख से 5 वर्ष तक निवेश पर वास्तविक/अनुमानित अर्जित लाभ (आरओआई) की गणना के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

2. केन्द्रीय ब्याज प्रोत्साहन के दावे हेतु

2.1 प्रत्येक दावा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इकाई के पहले दावे/अन्तिम दावे को वित्तीय वर्ष के भाग के रूप में माना जाएगा जोकि वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख पर निर्भर करेगा।

2.2 दावे का आवेदन संबंधित वित्तीय वर्ष, जिसके लिए दावा किया गया है, के अंत से 6 माह की अवधि के भीतर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

2.3 इकाई को अधिसूचित बैंक/केन्द्रीय अथवा राज्य वित्तीय संस्थान से एक प्रमाणपत्र सह संस्तुति पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा जिसमें दावे की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकता के प्रति बैंक द्वारा मंजूर ऋण सीमा, ऋण सीमा में प्रति इकाई द्वारा वास्तविक आहरण, कार्यशील पूंजी उपयोग पर बैंक द्वारा वसूला गया कुल ब्याज, बैंक द्वारा वसूली गई ब्याज की दर तथा ऋण देने वाले संस्थान के निधि आधारित ऋण दरों की सीमांत लागत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान को यह भी प्रमाणित करना होगा कि ऋण सीमा में किए गए सभी आहरण का उपयोग उसी कार्य के लिए किया गया जिसके लिए इसे मंजूर किया गया था और औद्योगिक इकाई द्वारा निधियों का दूसरी मदों में उपयोग नहीं किया गया और/अथवा उसके उपयोग में कोई बेइमानी नहीं की गयी।

3. केन्द्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन के दावे हेतु

3.1 प्रत्येक दावा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इकाई के पहले दावे/अन्तिम दावे को वित्तीय वर्ष के भाग के रूप में माना जाएगा जोकि वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख पर निर्भर करेगा।

3.2 दावे का आवेदन संबंधित वित्तीय वर्ष, जिसके लिए दावा किया गया है, के अंत से 6 माह की अवधि के भीतर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

3.3 दावा करने वाली इकाई को बीमित भवन, संयंत्र तथा मशीनरी के ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे।

4. परिवहन प्रोत्साहन के दावे हेतु

4.1 दावा तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। इकाई के पहले दावे/अन्तिम दावे को तिमाही के भाग के रूप में माना जाएगा जोकि वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख पर निर्भर करेगा।

4.2 दावे का आवेदन संबंधित तिमाही, जिसके लिए दावा किया गया है, के अंत से 6 माह की अवधि के भीतर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

5. आयकर (आईटी), प्रतिपूर्ति के दावे हेतु

5.1 आयकर की केन्द्रीय हिस्सेदारी के दावे हेतु आवेदक इकाई को उस माह के अंत से 6 माह की अवधि के भीतर अपना ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिस माह में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(1) के अंतर्गत उसका आयकर रिटर्न प्रोसेस किया गया था।

5.2 आयकर प्रतिपूर्ति दावा फाइल करने के लिए, संबंधित इकाई से संबंधित दावे की राशि सहित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(1) के अंतर्गत जारी आदेश की प्रति देना अनिवार्य होगा, जिसे दावे के निर्धारण के दौरान ध्यान में रखा जाएगा।

5.3 संबंधित इकाई के संबंध में आयकर की प्रतिपूर्ति' में केंद्र सरकार का हिस्सा भुगतान किए गए आय कर का 58 प्रतिशत होगा।

'नोट: प्रतिपूर्ति का यह प्रतिशत वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार समय-समय पर परिवर्तित होगा।

6. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए

6.1 तैयार वस्तुओं पर जीएसटी प्रतिपूर्ति इन्पुट टैक्स क्रेडिट नियमावली, 2017 के तहत इन्पुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग से भुगतान की गई राशि के अलावा भुगतान की गई जीएसटी के केंद्रीय हिस्से पर ही लागू है।

6.2 जीएसटी प्रतिपूर्ति' की राशि निम्नलिखित का कुल योग है:

(क) केंद्रीय कर और एकीकृत कर के इन्पुट टैक्स क्रेडिट टैक्स के उपयोग के बाद एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के संबंध में इकाई द्वारा रखे गए नकद बही खाते में डेबिट के जरिए भुगतान किए गए केंद्रीय कर का 58 प्रतिशत।

(ख) केंद्रीय कर और एकीकृत कर के इन्पुट टैक्स क्रेडिट टैक्स के उपयोग के बाद केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 की उप-धारा (1) के संबंध में इकाई द्वारा रखे गए नकद बही खाते में डेबिट के जरिए भुगतान किए गए एकीकृत कर का 29 प्रतिशत।

(ग) बशर्ते कि जहां निविष्टियां, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के तहत संयोजन योजना के अंतर्गत संचालन करने वाले पंजीकृत व्यक्ति से अधिप्राप्त किए

जाते हैं, वहां राशि, अर्थात् उपर्युक्त (क) और (ख) के कुल योग को अधिप्राप्त निविष्टि की कुल राशि में से संयोजन योजना के तहत अधिप्राप्त निविष्टि के बराबर प्रतिशत मूल्य से घटाया जाएगा।

'नोट: प्रतिपूर्ति का यह प्रतिशत वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार समय-समय पर परिवर्तित होगा।

6.3 उपर्युक्त तिमाही, जिसके लिए संगत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत विवरणी (विवरणियां) प्रस्तुत की गई थीं, की समाप्ति से 6 माह के भीतर दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन है। दावों की गणना और अनुमोदन के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सीबीआईसी द्वारा अन्य योजना के तहत जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए अपनाई जाती है।

7. **<u>रोजगार प्रोत्साहन का दावा करने के लिए</u>**

7.1 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के कार्य-क्षेत्र को 1 अप्रैल, 2018 से बढ़ाया गया है और भारत सरकार सभी क्षेत्रों में नए कर्मचारियों को 3 वर्ष की अवधि के लिए और मौजूदा लाभार्थियों को उनके शेष 3 वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के जरिए नियोक्ता के 12 प्रतिशत के पूरे अंशदान (ईपीएस और ईपीएफ दोनों) का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठानों के जरिए लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 है।

7.2 चूंकि पीएमआरपीवाई पहले ही 31 मार्च, 2019 तक लाभ दे रहा है, इसलिए दावा करने वाली इकाई रोजगार प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पीएमआरपीवाई द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर सकती है।

8. **<u>दावा अनुमोदित करने का प्राधिकार</u>**

8.1 ऋण तक पहुंच हेतु केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी), जहां पात्र संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 20.00 करोड़ रुपए होता है, से संबंधित सभी दावे राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) की स्थापना संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जिसमें राज्य उद्योग विभाग, राज्य उद्योग निदेशालय, राज्य वित्त विभाग, एनईडीएफआई और संबंधित वित्तीय संस्थाओं (यदि वित्तीय संस्था द्वारा औद्योगिक इकाई की सहायता की जा रही है) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इकाई की प्रोत्साहन प्राप्त करने संबंधी पात्रता और साथ ही प्रोत्साहन की मात्रा के संबंध में निर्णय करने के लिए एसएलसी प्रत्येक मामले पर विस्तार से विचार करेगी।

8.2 ऋण तक पहुंच हेतु केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी), जहां पात्र संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 20.00 करोड़ रुपए से अधिक होता है, से संबंधित सभी दावे अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

8.3 ब्याज प्रोत्साहन, बीमा प्रोत्साहन, परिवहन प्रोत्साहन से संबंधित सभी अन्य दावे, 20 लाख रुपए तक के वार्षिक/ तिमाही दावे डीएलसी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे और 20 लाख रुपए से अधिक के दावे एसएलसी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। आयकर और जीएसटी के संबंधित दावे डीपीआईआईटी द्वारा सीबीडीटी/ सीबीआईसी के साथ परामर्श करके अनुमोदित किए जाएंगे।

9. **<u>अन्य प्रावधान</u>**

9.1 योजना के शेष छः अन्य घटकों के तहत लाभ प्राप्त करने से पहले ऋण तक पहुंच हेतु केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) को उपयुक्त प्राधिकारी (उपर्युक्त सीमाओं के अनुसार) से अनिवार्यत: अनुमोदित होना चाहिए।

9.2 किसी भी प्रोत्साहन के भुगतान में विलंब होने पर इकाई द्वारा ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता। लाभार्थी इकाई को इससे सहमति के संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।

9.3 दावा करने वाली इकाई के लिए उनके द्वारा अधिमान्य दावे के संबंध में इलैक्ट्रानिक माध्यम/ चेक/ डीडी के जरिए किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। नकद भुगतान वाले किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

9.4 संबंधित प्रोत्साहनों के संबंध में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा उपर्युक्तानुसार, अथवा पंजीकरण प्रदान करने के एक वर्ष के भीतर, दोनों में से जो भी बाद में हो, है।

****

अनुबंध

सीसीआईआईएसी के तहत राजसहायता हेतु पात्र मानी गई संयंत्र एवं मशीनरी की मदों/ घटकों की विस्तृत सूची

इकाई का नाम:-

क्र.सं.	परियोजना में सहायता करने वाली वित्तीय संस्था/ स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार		जैसा कि तकनीकी दल द्वारा सीसीआईआईएसी के तहत राजसहायता हेतु पात्र माना गया है		
	संयंत्र एवं मशीनरी की मदें/ घटक	लागत (लाख रुपए में)	संयंत्र एवं मशीनरी की मदें/ घटक	लागत (लाख रुपए में)	वित्तीय संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट में अंतर (यदि कोई हो) का कारण
कुल					